Question 2600 given in the Rajya Sabha on the 8th August, 1989 and state:

(a) whether the Anomaly Committee has given its recommendations for the grant of a pay scale of Rs. 1640—2900 to Assistants;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is Government's reaction thereto and by when orders in this regard are likely to be issued?

THE PRIME MINISTER AND THE MINISTER FOR PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

वाराणसी और पटना में गंगा में हो रहे प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाना

64. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा कार्य योजना के अधीन वाराणसी और पटना में गंगा के प्रदूषण पर अब तक किस सीमा तक नियंत्रण किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत वाराणसी के लिए 39.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 35 स्कीमें और पटना के लिए 23.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 30 स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं। इनमें से अब तक वाराणसी में 16 स्कीमें और पटना में 12 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं। पूरी की गई स्कीमों के परिणामस्वरूप अभी तक वाराणसी में 2.18 करोड़ रुपए लीटर प्रतिदिन और पटना में 3 करोड़ लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल का अवरोधन दिशा परिवर्तन और उपचार किया जा चुका है। शेष अधिकांश स्कीमों के चालू वित्त वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है। सभी अनुमोदित स्कीमों के पूरा हो जाने पर वाराणसी में गंगा में प्रवाहित होने वाले 10.20 करोड़ लीटर प्रतिदिन तथा पटना में प्रवाहित होने वाले 6.7 करोड़ लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल के अवरोधन, दिशा-परिवर्तन और उपचार की संभावना है।

दिल्ली चिड़ियाघर की महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतें

65. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली चिड़ियाघर की कुछ महिला कर्मचारियों से वहां के कार्यकारी निदेशक के खिलाफ उनके द्वारा उनसे दुर्व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यालयों में महिला कर्मचारी मान-मर्यादा के साथ अपना कार्य करें, सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली की तीन महिला कर्मचारियों ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के संयुक्त निदेशक द्वारा किए गए अशोभनीय और अनुचित व्यवहार तथा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के कुछ कर्मचारियों की अनुशासनहीनता के प्रति ढिलाई दिखाने के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन दिए थे। आरोप पर प्राथमिक जांच चल रही है।

सरकार अपने सभी कर्मचारियों को कार्य करने के लिए साफ और स्वस्थ परिवेश मुहैया कराने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि महिला कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर अपने आप को असुरक्षित या तिरस्कृत महसूस न करें।

इस मामले में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में अब निदेशक की नियुक्ति कर दी गयी है और उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि चिड़ियाघर में काम करने की परिस्थितियां ठीक हों तथा अनुशासनहीनता को रोकने के लिए सख्त उपाय किए जाएं ।

Finalisation of the Eighth Five Year Plan

66. SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) by when the Eighth Five Year Plan is likely to be finalised;

(b) what are the reasons for delay in this regard; and

(c) whether Government propose to introduce any changes in the plan process?

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) and (b) The process of formulating and finalising the Eighth Five Year Plan was behind schedule even when the present Government took office. With the change in Government with a fresh mandate from the people, the objectives, strategies and priorities of the Plan will need to be re-examined and re-cast. It is not possible at this stage to indicate a precise date for the finalisation of the Eighth Plan.

(c) The Government is committed to a planning process that would emphasize genuine federalism and multi-level consultations and democratic decentralisation.

Capitation fee in private engineering and medical colleges

67. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite the legal ban on charging of capitation fees from students at the time of admission, a huge amount of capitation fee is charged from students by most of the private engineering and medical colleges in some of the States; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PROF. M. G. K. MENON): (a) and (b) The Central Government and the All India Council for Technical Education have been urging the State Governments to take appropriate action to prevent charging of capitation fee for admission to technical institutions. AICTE Act also provides for steps to prevent commercialisation of technical education.

Some of the States where capitation fee had been prevalent—Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka and Maharashtra—have since passed State Acts to ban capitation fees. These States have also informed that capitation fee is no longer being charged. However, at present there is no legislation in Tamil Nadu banning capitation fee and as per the information from the State Government capitation fee is being collected by private colleges under the guise of donation.

In so far as medical education is concerned, a Bill to amend the Indian Medical Council Act, 1956 has been introduced in the Rajya Sabha. This Bill, however, is yet to be approved by the Parliament.

पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों को डिग्रियां तथा डिप्लोमे दिए जाना

68. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कितने लोगों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा डिग्रियां तथा डिप्लोमे दिए जा रहे हैं तथा देश में इस योजना के अधीन ऐसी डिग्रियां तथा डिप्लोमे प्रदान करने वाले महाविद्यालयों तथा संस्थाओं की वर्तमान संख्या क्या है ; और

(ख) पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा डिग्रियां आदि दिए जाने में होने वाली